

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



फ्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2019/6316

ग्रन्थालय : गृहीतसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
फैक्स : 2442462 (बिकास)
(0091-0751-2341768)
E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
Website : <http://www.jiwaukee.edu/>

दिनांक : २८-०९-२०१९

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2019 की अवृशंस्ता उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 जून 2019 के पद फ्रमांक (01) के निर्णयानुसार **SHARDA DEVI SHIKSHA, MAHAVIDYALAYA, BHIND** को सत्र 2019-20 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

SHARDA DEVI SHIKSHA, MAHAVIDYALAYA, BHIND	B.ED.	50
--	--------------	-----------

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार


कुलसचिव

बोठिस:-

- उक्त कार्यवाही 30 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करें, अन्यथा सब 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी साल में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा वियुक्त शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी सब की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, **SHARDA DEVI SHIKSHA, MAHAVIDYALAYA, BHIND**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, झालियर-चंबल रांगांग, मोतीमहल परिसर, झालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



डॉ. जयेश पटेल

महाविद्यालयीन विकास परिषद्